(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 185/2011

अभिमन्यु साह — अपीलार्थी

वनाम

कैलु मुखिया एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा, द्वारा पारित आदेश दिनांकः 30.11.2011 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 55/2011 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार के जनता दरबार में एक आवेदन दिया गया जिसमें यह जिक्र किया गया कि उन्हें मौजा– छतरिया, थाना–महिषी, जिला–सहरसा अंतर्गत खाता पुराना–54, नया–3, खेसरा पुराना–600/118, खेसरा नया– 645 का रकवा–2 बीघा 2 कट्ठा 10 धूर भूमि निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांकः 25.04.1967 के माध्यम से प्राप्त हुआ तथा वर्ष–1994 में रेस्पोण्डेन्ट द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया तथा अपीलार्थी के दखल की भूमि पर जबरन दखल कर लिया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित उपरोक्त आवेदन को निस्पादन हेतु भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में आया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय एवं इस अपीलीय न्यायालय में अपीलार्थी का वाद यह था कि प्रश्नगत भूमि मदन लाल दास के स्वत्व वो दखल की भूमि थी एवं वो उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक रूप से दखलकार थे। उक्त मदन लाल दास को पैसे की आवश्यकता हुई वो उन्होनें प्रश्नगत भूमि को ग्राम–चतरिया के सत्य नारायण सिंह पिता–राम कृपाल सिंह को निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांक 04.08.1965 के माध्यम से बिक्री कर दिया वो उक्त भूमि पर क्रेता को दखल दिला दिया। सत्य नारायण सिंह द्वारा भी खरीदगी भूमि को अपीलार्थी अभिमन्यु साह को निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांकः 25.04.1967 के माध्यम से बिक्री कर दिया गया वो क्रेता को प्रश्नगत भूमि पर दखल दिला दिया गया तब से अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्वक रूप से दखलकार चले

आ रहे हैं बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा बिहार सरकार के सिरिस्ता में अपने नाम से दाखिल खारिज कराया गया वो अपीलार्थी को अद्यतन रेन्ट बिल रसीद प्राप्त है। विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि हाल सर्वे के दौरान प्रश्नगत भूमि का खाता गलती से अनाबाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज हो गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा उच्चतर सर्वे प्राधिकार के समक्ष विविध वाद संख्या–47/1977 दाखिल किया गया। वाद कि सुनवाई के क्रम में मामले को श्री बी० कांती, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को जॉच हेतु प्रेषित किया गया। तदोपरांत उनके द्वारा स्थल जॉच किया गया तथा अपीलार्थी का उक्त भूमि पर दखल पाते हुए जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया वो उनके प्रतिवेदन के आधार पर अनाबाद बिहार सरकार का नाम विलोपित कर दिया गया तथा आदेश दिनांकः 10.06.1981 के द्वारा अपीलार्थी का नाम दर्ज हुआ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी दरभंगा जिला के वासी हैं तथा रेस्पोण्डेन्ट उसी स्थान के वासी हैं जहॉ प्रश्नगत भूमि अवस्थित है अतएव रेस्पोण्डेन्ट द्वारा अपीलार्थी के स्वत्व वो दखल की भूमि से उन्हें बलपूर्वक बेदखल कर दिया गया। तंग तबाह होकर अपीलार्थी द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा के जनता दरबार में आवेदन दिया गया वो जिलाधिकारी द्वारा उक्त आवेदन को अंचल अधिकारी, महिषी को भेज दिया गया तथा अंचल अधिकारी, महिषी द्वारा अपना प्रतिवेदन पत्रांकः 57–2 दिनांक–28.01.2011 के माध्यम से प्रेषित किया गया। उक्त प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अपीलार्थी, ओ०.सी०, महिषी, थाना तथा अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया। उक्त पर कोई कार्रवाई न होते देख अपीलार्थी द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार के जनता दरबार में आवेदन दिया गया वो अंत में अपीलार्थी का यह आवेदन निम्न न्यायालय में आया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट का दावा यह था कि बंदोबस्ती वाद संख्याः 5/95–96 के द्वारा उन्हें उक्त भूमि प्राप्त हुई थी। परंतु वाद संख्याः 5/95–96 के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि भूमि का विवरण प्रनशगत भूमि से मेल नहीं खाता है बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि बंदोबस्ती वाद संख्याः 05/96–95 में अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश से यह स्पष्ट होगा कि जमाबंदी संख्याः 164 रकवाः 2 बीघा 2 कट्ठा 10 धूर बनाम अभिमन्यु साह किन्तु इनके नाम से हाल सर्वे में खाता संख्याः 3 खेसरा संख्याः 118/645 रकवाः 1.75 डी० कायम हुआ है जो कि सही है तथा कथित जमाबंदी संख्याः 101 एवं 209 जाली जमाबंदी है अतएव खारिज किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने दावा के समर्थन में निबंधित केवाला दिनांकः 25.04.1967 की छायाप्रति, सत्य ना० सिंह वनाम अभिमन्यु साह, बिहार सरकार के लगान रसीद की छायाप्रति, अंचलाधिकारी महिषी का पत्रांकः 57–2 दिनांकः 28.01.2011 की छायाप्रति, अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा का आदेश दिनांकः 04.09.1995, 22.09.1995, 14.06.1995 एवं 27.07.1996, राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन का छायाप्रति, समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में दाखिल अपील वाद संख्याः 42/96–97 के अपील अर्जी एवं समाहर्त्ता महोदय का आदेश दिनांकः 12.05.1997 की छायाप्रति एवं अचंल अधिकारी का प्रतिवेदन दिनांकः 25.11.2013 को कागजी साक्ष्य के रूप में इस न्यायालय के समक्ष समर्पित किये हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि प्रस्तुत वाद में तथा पूर्व के बाद में अपीलार्थी/वादी ने बिहार सरकार को पक्षकार नहीं बनाया जबकि खतियान बिहार सरकार के नाम दर्ज है। आगे कथन करते हैं कि दो केवाला के द्वारा मदन लाल ने अपीलार्थी के विक्रेता सत्यनारायण सिंह एवं अन्य लोगों के हाथ बिक्री की वो एक अन्य केवाला

द्वारा हीरा राय एवं अन्य के नाम से। जब अपीलार्थी के विक्रेता सत्य नारायण सिंह एवं उनके कवल के विक्रेता मदन लाल के द्वारा बिक्री की गई अन्य जमीन आर०एस० एवं सी०एस० दोनों खतियान (हक्काधार) नदी) अनाबाद बिहार सरकार के नाम दर्ज होने के कारण बिहार सरकार द्वारा भूमिहीनों के बीच वितरीत कर दी गई तो उनकी जमीन बन्दोवस्ती से कैसे बच गई।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि खाता नया– 85 में दर्ज जमीन का रकवा बिहार सरकार के नाम से 21 एकड़ 21 डीसमल है जिसके उत्तर–पश्चिम भाग से तरही मौजा के सीमान के तरफ से एक एकड़ चालीस डी० जो नया खेसरा–1, 2, 62 एवं 118 के अंश पर वर्त्तमान कोशी पश्चिमी तटबंध का निर्माण हो गया था तथा शेष बचे रकवा 19 एकड़ 77 डी० चतरिया मौजा के 74 अति पिछड़ी भूमिहीनों के साथ दखल कब्जा के आधार पर वितरित कर दिया गया तथा उनके नाम जमाबंदी कायम कर मालगुजारी रसीद लगान फिक्स कर निर्गत कर दिया गया।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि शिव साह तथा अभिमन्यु साह पिता–अच्छे साह, ग्राम–जमालपुर, दरभंगा दो भाई के नाम से सत्यनारायण सिंह द्वारा प्राप्त केवाला देखने में है तथा उपरोक्त विवादी जमीन का खाता बिहार सरकार के नाम से दर्ज होने पर शिव साह के द्वारा दफा–103 बी०टी० एक्ट में वाद संख्या–47/75 दायर किया गया था जो नया खेसरा संख्या–1, 2, 62 पर दायर किये थे जो चौहद्दी एवं सरजमीन के अनुसार उत्तर–पश्चिम सीमान तरही इनके केवाला में दर्ज है फिर भी कोशी बांध के निर्माण के बाद जब इनको पता चला कि उक्त खेसरा में बांध है, इनके दावा को गलत पाकर अस्वीकृत कर दिया गया तब फिर अभिमन्यु साह, अपीलार्थी ने गलत तथ्य बनाकर अपने नाम से विविध वाद संख्या–47/75 सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी, सहरसा के यहाँ दायर किये वो सर्वे अमीन वो अमलेगान को अपने पक्ष में लेकर गलत आदेश पारित करवा लिये जो सरजमीन के खिलाफ है। इन्होनें तथ्यों को छिपाकर शिव साह के बदले अभिमन्यु साह के नाम से आदेश करवा लिये वो भी नाजायज है तथा उपरोक्त दोनों न्यायालय में वाद संख्याः 55/11 एवं 185/11 दोनों में अपीलार्थी केवल अभिमन्यु साह हैं जबकि केवाला दोनों भाई के नाम से है जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी जाली–फरैवी व्यक्ति हैं बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी निम्न न्यायालय के वाद संख्या–55/11 में तथा अपीलीय न्यायालय में कैलू मुखिया, गंगाराम राय तथा विशुनदेव राय को पार्टी बनाये हैं, जबकि उक्त विवादी खेसराः 118/645 जो पुराना खेसरा–94/600 नया 118 से निर्मित हुआ है जिसका आकार लोटानुमा गोलाकार है और इस जमीन का बंदोबस्ती पर्चा कारी मुखिया, धर्मेन्द्र राय एवं दयाराम राय के नाम से निर्गत है जिनके नाम से रजिस्टर– 2 में जमाबंदी वो मालगुजारी रसीद निर्गत है तथा दखल कब्जा में है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के नाम खरीदगी केवाला में खेसरा–600 दर्ज है एवं चौहद्दी में उत्तर सीमाना तरही, पश्चिम–अमाही मोहनपुर, दक्षिण–अमाही मोहनपुर, पुरब–निज हैं, जबकि 645 खेसरा नया के पुरब नक्सा में मौजा–वीरगॉव पड़ता है इस प्रकार तीन मौजा से संबंधित रकवा जो लगभग आधा किलो मीटर की लंबाई में है, इनके केवाला में दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि क्रेता एवं विक्रेता दोनों बाहरी व्यक्ति थे जिनको जमीन के सरजमीन वो भौगोलिक हालत का पता नहीं था वो इनके केवाला में खेसरा–600 दर्ज है, जबकि खाता–54 के खेसरा–94/600 पुराना सर्वे खतियान में दर्ज है। इसके भी स्पष्ट होता है कि इनका केवाला नाजायज है। सरजमीन के रूह से केवाला में दर्ज चौहद्दी गलत दर्ज है, जो भी सरजमीन से मेल नहीं खाता है।

रेस्पोण्डेन्ट द्वारा अपने दावा के समर्थन में पर्चा नाम से कारी मुखिया वगैरह, सर्वे खतियान नया पुराना, आदेश न्यायालय अपर समाहर्त्ता, सहरसा, आदेश टी०एस० 94/96, अवर न्यायाधीश, सहरसा, आदेश अपर सत्र न्यायाधीश, सहरसा का मिस० अपीलः 06/98, आदेश, माननीय उच्च

न्यायालय, बिहार, पटना, सिविल रिभिजन नं०: 1973/2000, बंदोबस्ती आदेश, अंचल महिषी: 05/1995–96 एवं मौजा–चतरिया का नक्शा की छायाप्रति दाखिल किए हैं।

निम्न न्यायालय के स्तर पर यह पाया गया है कि *विवादी भूमि का खाता अनाबाद बिहार सरकार के नाम होने के कारण सरकार के योजना के अनुकूल कतिपय भूमिहीनों के बीच वितरीत कर बन्दोबस्त पर्चा निर्गत किया गया है तदनुसार मालगुजारी रसीद भी आवंटी प्रतिवादीगण को प्राप्त है।*

यह भी पाया गया है कि *विवादी भूमि पर प्रतिवादी का दखल कब्जा बन्दोबस्ती पर्चा एवं निर्गत मालगुजारी रसीद से प्रमाणित है।*

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया एवं पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा विधिसम्मत एवं न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

28/1/2014
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

28/1/2014
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा